

किस्म मुकदमा

जापत बाबत सुप्रीम कोर्ट

क्रमांक 4/2022

क्र. R 08 GC 5415 (14 वक्का) बाबत जोकाश अधिनियम 1975 के अंतर्गत पेश किया गया है।


तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशिवल्स जज	नंबर व ता. अफसान जो इस हुकम को तामिल में जारी हुए
---------------	-----------------------------------	---

23/1/22

जबकि पर जायी की ओर से जयें अभिवाक
बाबत सुप्रीमी कोर्ट द्वारा हुकम नं. ~~क्र. 4/2022~~
R 08 GC 5415 (14 वक्का) बाबत जोकाश अधिनियम
1975 के अंतर्गत पेश किया गया है।
हामी को के आदेश से केस जायी बाबत
आशा सदर से तलब की गयी। प्रकरण
दिले रिविस्टर है।

केस जायी बाबत को पर अभि-
वाक जायी एवं आदेश को अभिवाक
की कहल सुनी गयी।

अभिवाक जायी ने पब्लिक पर
से अफिल तयों को दोहारे हुए कथन
किया कि उक्त अधिनियम के अंतर्गत
आशा आशा सदर द्वारा जायी का कलन
हुकम नं. R 08 GC 5415 अंतर्गत कर दिया
है जो आशा आशा सदर के स्वयं ही
उक्त प्रकरण में आशा आशा सदर द्वारा
तलबीश मुल कर ली गई है, बाक पेशे
जायी के बाबत की आशा आशा
सदर को कोई आवश्यकता नहीं है।
प्रकरण बाबत को यदि ज्यादा समय
तक आशा आशा सदर के स्वयं स्वयं
गया तो उम्मीद बचीनी के स्वयं ही
जाते की पूर्ण संभावना है। जायी उक्त
बाबत का रिविस्टर आदेश व प्रकरण
तथा सुप्रीमी के कोर्ट हेतु सहम
है तथा जमानत कासा व सुप्रीमी कासा
आदेशानुसार प्रस्ताव को हेतु सहम
उम्मीद है तथा तैयार है। सुप्रीम उक्त
बाबत जायी की सुप्रीमी के दिया जाना


जिला कलक्टर
गान (गजग)



करना पड़ सकता है। यह देखा जाये कि
 इस पक्षी कलम आह पुत्र सम्मान जाति
 फकीर कुशलमान निवृत्ती केरवाली मोहल्ला
 महीदपुर बिला उज्जैन (क.प्र.) द्वारा प्रस्तुत
 प्रथिना पत्र काबत सुपुर्णी बालन RG 09
 GC 5415 ड्रक 14 चक्का को स्वरिज
 किया जाण न्यायोचित सम्झते हैं।

~~परिणामस्वरूप प्रथिना पत्र काबत
 सुपुर्णी बालन RG 09 GC 5415 ड्रक 14
 चक्का पक्षी कलम आह पुत्र सम्मान
 जाति फकीर कुशलमान निवृत्ती केरवाली
 मोहल्ला महीदपुर बिला उज्जैन (क.प्र.)
 स्वरिज किया जाण है।~~

लक्ष्मणसक विपति आगाधकारी,
 शान्ता अदर वारा जा.फा. रहे। केस
 उपरी आगाधकारी, शान्ता अदर वारा
 को लायई जावे। परावली कुशल सुभार
 लेकर गवर के काम ले बाद तल्लील
 अभिसेव से प्रविष्ट हो आदि सुनाया
 गया।

जिला फलकट
 बारा (राब०)

अदल 4/10
 पाप 01
 80